



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]
No. 33]

नई दिल्ली, भूतस्थितिवार, जनवरी 18, 2001/पौष 28, 1922
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2001/PAUSA 28, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2001

का.आ. 51(अ).—कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर अधिनियम, 1985 (1986 का 3) की धारा 3 को उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त सक्रियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वाह निर्यातेमुख्य इकाईयों विधि निर्यात संसाधन जीवों और विशेष आर्थिक जीवों की इकाईयों द्वारा सभी अनुसूचित उत्पादों के निर्यात पर उपकर की दर तत्काल प्रभाव से मूल्यानुसार 0% (शून्य प्रतिशत) विनिर्दिष्ट करती है।

[फ. सं. 11/16/86-ईपी(एग्री. IV)]

आर. गोपालन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2001

S.O. 51(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Agricultural and Processed Food Products Export Cess Act, 1985 (3 of 1986), the Central Government hereby specifies 0% (zero per cent) *ad valorem* as the rate of cess on export of all Scheduled products by the Export Oriented Units and the Units in the Export Processing Zones and Special Economic Zones, with immediate effect.

[F. No. 11/16/86-EP(Agr. IV)]

R. GOPALAN, Jt. Secy.